न्यायालयः— प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

प्रतिलिपियां :—(ईमेल—मेसेज द्वारा)

पृष्ठांकन कमांक 765 / 2024 **मंदसौर दिनांक 22/07/2024**

01	माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02	माननीय प्रिसिंपल रजिस्ट्रार महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
03	माननीय प्रधान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला न्यायालय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
04	माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एट्रोसिटीज), मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
05	माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
06	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
07	माननीय समस्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
08	जिला कलेक्टर, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09	पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10	जिला रजिस्टार (सिविल कोर्टस) मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11	श्री समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर /नारायणगढ़/सीतामउ/ गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
12	जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को प्रेषित बावत्।
13	थाना प्रभारी, आरक्षी केंद्र समस्त की ओर पालनार्थ प्रेषित।
14	थाना प्रभारी, जी आर पी शामगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15	विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट रतलाम/ इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16	उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन मंदसौर की ओर समस्त खाद्य निरीक्षकों को सूवनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
17	नापतोल निरीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18	कारखाना निरीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19	श्रम अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20	औषधी निरीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
21	जिला वन मण्डलाधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
22	सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
23	प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
24	अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मंदसौर/नारायणगढ़ /सीतामउ/ गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
25	..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
26	सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक मंदसौर/नारायणगढ़/सीतामउ/गरोठ/भानपुरा न्यायिक स्थापना की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई—मेल/मेसेज के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मंदसौर

न्यायालय : प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)
::: कार्य विभाजन/वितरण आदेश वर्ष 2024 :::

आदेश दिनांक 22/07/2024

मैं प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) एवं 12(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंदसौर न्यायिक जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन पत्रक एवं संशोधन पत्रकों को निरसित करते हुये यह नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर के अनुमोदन उपरांत **दिनांक 23.07.2024 से प्रभावशील** होकर, आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

अनुकमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्य क्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा
1	2	3	4
(1)-	**प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर**	**1(अ) आरक्षी केंद्र–शहर कोतवाली, दलौदा एवं यातायात**	1. स्तंभ कमांक 1(अ) में अंकित थाना क्षेत्रों से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) एवं खात्मा प्रतिवेदन। 2. नगर पालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण एवं अपीलें।
		1(ब) संपूर्ण जिला – मंदसौर	**3.** स्तंभ कमांक 1(ब) में अंकित संपूर्ण जिला मंदसौर के क्षेत्राधिकारांतर्गत में – 1. चलित न्यायालय। 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। 3. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। 4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद/आपराधिक प्रकरण। 5. ऐसे समस्त अधिनियम/कार्यवाहियां, जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो। 6. धारा 306 द.प्र.सं./343 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अभियुक्तों के क्षमादान के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 7. अल्प मात्रा के एन.डी.पी.एस.एक्ट से संबंधित प्रकरण। 8. संपूर्ण मंदसौर जिला क्षेत्राधिकारितांर्तगत के खारजी प्रतिवेदन। 9. वे समस्त प्रकरण/कार्यवाहियों, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश में

			नहीं है अथवा इस आदेश द्वारा किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिन प्रकरण/कार्यवाहियों के विचारण/सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया हो।
		1(स) मंदसौर एवं दलोदा तहसील क्षेत्र एवं आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ (मंदसौर तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	**4.** स्तंभ कमांक 1(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 1. श्रम निरीक्षकों/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 2. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 3. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण।
(2)-	**श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	**2(अ) आरक्षी केंद्र–नाहरगढ़**	1. **स्तंभ कमांक 2(अ) में उल्लेखित :–** थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. आरक्षी केंद्रों से न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच। 4. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
(3)-	**श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	**3(अ) आरक्षी केंद्र–भावगढ़**	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र–नाहरगढ़ (मंदसौर तहसील	**2.** स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र

			न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	**3.** स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 5,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र–यातायात मंदसौर	**4.** स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्र में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
			सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
(4)-	**श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	**4(अ) आरक्षी केंद्र–वाई.डी.नगर**	1. स्तंभ क्रमांक 4(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ क्रमांक 4(अ) में उल्लेखित आरक्षी

			केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		4(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	**4.** स्तंभ क्रमांक 4(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– खनिज अधिनियम ;डपदपदह रूंद्ध से संबंधित समस्त प्रकरण।
		4(स) आरक्षी केंद्र–**भावगढ़**	**6.** स्तम्भ क्रमांक 4 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
(4)-A	**श्री विनोद अहिरवार, न्यायाधिकारी, ग्राम–न्यायालय, मंदसौर**	4(अ) तहसील मंदसौर व तहसील दलौदा के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र से संबंधित ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण (नगर (इ) तहसील मंदसौर व तहसील दलौदा के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र से संबंधित ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण (नगरपालिका सीमा को छोड़कर)	**7.** स्तंभ क्रमांक 4(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्रों में – 1. राजस्व तहसील, मंदसौर व दलौदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची–1 के भाग–1 एवं भाग–2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
(5)-	**श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	**5(अ) आरक्षी केंद्र– नई आबादी**	1. स्तंभ क्रमांक 5(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ क्रमांक 5(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर

			अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		5(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत) (7) दलौदा	**5.** स्तंभ कमांक 5(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,001 से 5,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		5(स) मंदसौर एवं दलोदा तहसील क्षेत्र एवं आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ (मंदसौर तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	**6.** स्तंभ कमांक 5(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण।
		5(द) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	**4.** स्तंभ कमांक 5(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		5(ई) आरक्षी केंद्र–दलौदा	**6.** स्तम्भ कमांक 5 (ई) में अंकित थाना क्षेत्रों में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
(6)-	**सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	**6(अ) आरक्षी केंद्र– अफजलपुर**	1. स्तंभ कमांक 6(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ कमांक 6(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		6(ब) आरक्षी केंद्र– शहर कोतवाली	**4.** स्तंभ कमांक 6(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र

			न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		6(स) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	**5.** स्तंभ कमांक 6(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,00,001 से 3,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		6(द) आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली	**8.** स्तंभ कमांक 6(द) में अंकित आरक्षी केंद्रों/नारकोटिक्स ब्यूरो के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत से उद्भूत धारा 52 ए क आवेदन का निराकरण
		6(इ) आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली	**9.** स्तम्भ कमांक 6(इ) में अंकित आरक्षी केंद्रों में–न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
			10. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
(7)-	**श्रीमती प्राची पाण्डेय माटा न्यायिक**		सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर		
(8)-	**सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	**8(अ) आरक्षी केंद्र– महिला थाना जिला मंदसौर**	1. स्तंभ कमांक 8(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ कमांक 8(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		8(ब) आरक्षी केंद्र– दलौदा एवं अफजलपुर	**4.** स्तंभ कमांक 8(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		8(स) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़	**5.** स्तंभ कमांक 8(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,00,001 से 2,00,000 तक) की राशि के परिवाद।

		(मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	
		8(द) आरक्षी केंद्र महिला थाना	**9.** स्तम्भ कमांक 8(द) में अंकित आरक्षी केंद्रों में–न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
(9)-	**सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	**9(अ) आरक्षी केंद्र– वाई.डी.नगर**	**1.** स्तंभ कमांक 9(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		9(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	**6.** स्तंभ कमांक 9(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 50,001 से 100,000 तक) की राशि के परिवाद।

		9(स) आरक्षी केंद्र–आबकारी वृत्त पूर्व मंदसौर एवं पश्चिम	**8.** स्तंभ क्रमांक 9(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		9(द) आरक्षी केंद्र दलौदा	**8.** स्तंभ क्रमांक 9(द) में अंकित आरक्षी केंद्रों/नारकोटिक्स ब्यूरो के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत से उद्भूत धारा 52 ए क आवेदन का निराकरण
		9(इ) आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त पूर्व–पश्चिम एवं नई आबादी	**9.** स्तम्भ क्रमांक 9(ई) में अंकित आरक्षी केंद्रों में–न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
(10)-	**सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	**10(अ) आरक्षी केंद्र– नई आबादी**	**1.** स्तंभ क्रमांक 10(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		10(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर,	**6.** स्तंभ क्रमांक 10(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 25,001 से 50,000 तक) की राशि के परिवाद।

		(5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	
		10(स) आरक्षी केंद्र– दलौदा क्षेत्राधिकारांतर्गत	7. स्तंभ कमांक 10(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		10(द) आरक्षी केंद्र शहर दलौदा	2. स्तंभ कमांक 10(ब) में अंकित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
		10(द) आरक्षी केंद्र वाई.डी.नगर	8. स्तम्भ कमांक 10(द) में अंकित आरक्षी केंद्रों में–न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
(11)-	**श्री काशीष माटा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	11(अ) आरक्षी केंद्र– शहर कोतवाली क्षेत्राधिकारांतर्गत	1. स्तंभ कमांक 11(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		11(ब) आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली	2. स्तंभ कमांक 11(ब) में अंकित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
		11(स) आरक्षी केंद्र– शहर कोतवाली एवं दलौदा	3 पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी स्तंभ कमांक 11(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध (जारी स्थाई गिरफतारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश एवं निर्णय का निष्पादन या अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों का कार्य संपादित करेंगे।
		11(द) आरक्षी केंद्र अफजलपुर	3. स्तम्भ कमांक 11(द) में अंकित आरक्षी केंद्रों में–न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
(12)-	**श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ**	**12(अ) आरक्षी केंद्र– सीतामउ**	**स्तंभ कमांक 12(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न–** 1. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद।

			3. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच। 4. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		12(ब) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, आबकारी वृत्त सीतामउ	3. स्तंभ कमांक 12(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		12(स) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, सुवासरा एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह.क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**5.**स्तंभ कमांक 12(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 1. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 2. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 3. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 4. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 5. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
(13)-	**श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ**	**13(अ) आरक्षी केंद्र– सुवासरा**	**स्तंभ कमांक 13(अ) में अंकित थाना क्षेत्र से** उत्पन्न 1 आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) 2. स्तंभ कमांक 13(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद। 4. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

		13(ब) आरक्षी केंद्र सुवासरा	**4.** स्तंभ कमांक 13(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		13(स) आरक्षी केंद्र– सुवासरा, आबकारी वृत्त सुवासरा	**5.** स्तंभ कमांक 13(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
(14)-	**सुश्री सुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ**	**14(अ) नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)**	**स्तंभ कमांक 14(अ) में अंकित थाना क्षेत्र से उत्पन्नः–** 1. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्माप्रतिवेदन। 2. स्तंभ कमांक 14(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद। 4. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु

			जांच। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		14(ब) आरक्षी सीतामउ एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह.क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**4. स्तंभ कमांक 14(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध –** 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
(15)-	**श्री राहुल दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., गरोठ**	15(अ) आरक्षी केंद्र–गरोठ	1. **स्तंभ कमांक 15(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न :–** 01. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) (अनुकमांक में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2. से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

			4. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
		15(ब) आरक्षी केंद्र–गरोठ तथा आबकारी वृत्त–गरोठ	**4.** स्तंभ कमांक 15(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		15(स) आरक्षी केंद्र–गरोठ, शामगढ़ एवं जी.आर.पी. शामगढ	**5.** स्तंभ कमांक 15(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 1. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 2. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 3. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 4. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 5. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
(16)-	**श्रीमती प्रीति पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ**	16(अ) आरक्षी केंद्र–शामगढ़ एवं जी.आर.पी. शामगढ़	1. स्तंभ कमांक 16(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) (अनुकमांक में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2. उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद। 3. संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 4. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		16(ब) आरक्षी केंद्र–गरोठ, शामगढ़ एवं जी.आर.पी. शामगढ़	**3. स्तंभ कमांक 16(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध –** 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले

	[redacted]		भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		16(स) आरक्षी केंद्र–शामगढ़	5. स्तम्भ कमांक 16 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
(16)-A	**श्रीमती प्रीति पाण्डे, न्यायाधिकारी, ग्राम–न्यायालय, मंदसौर**	16 (अ) तहसील गरोठ, शामगढ़ व जी.आर.पी. शामगढ़	**6. स्तंभ कमांक 16(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्रों में –** 1. राजस्व तहसील, गरोठ व शामगढ़ के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची–1 के भाग–1 एवं भाग–2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 एवं 146 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।

(17)-	**श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा**	17(अ) आरक्षी केंद्र– भानपुरा एवं गांधीसागर	1. स्तंभ कमांक 17(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		17(ब) आरक्षी केंद्र– भानपुरा एवं गांधीसागर	**4.** स्तंभ कमांक 17(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		17(स) आरक्षी केंद्र– भानपुरा एवं गांधीसागर	**5.** स्तंभ कमांक 17(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन के सभी परिवाद।
		17(द) आरक्षी केंद्र– भानपुरा एवं गांधीसागर	**7.** स्तम्भ कमांक 17(द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
		17(इ) आरक्षी केंद्र– भानपुरा* एवं गांधीसागर*	**3.** स्तंभ कमांक 17(इ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित

	[redacted]		महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
(18)-	**श्रीमती मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा**		01 सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
(19)-	**श्री डालचंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़**	19(अ) आरक्षी केंद्र–नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**1.** स्तंभ कमांक 19(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 19(अ) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों को छोड़कर) **2.** सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। **3.** आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अधीन के सभी परिवाद। 4. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच।
		19(स) आरक्षी केंद्र–नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**5.** स्तंभ कमांक 19(स)में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 1. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 2. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 3. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 4. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 5. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
(20)-	**श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़**	20(अ) आरक्षी केंद्र पिपलियामंडी एवं मल्हारगढ़	**1.** स्तंभ कमांक 20(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 20 (अ) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय .द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)

			2. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। **3.** आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अधीन के सभी परिवाद। **4.** न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अधीन मृत्यु जांच। **5.** सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
(21)-	**श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी. नारायणगढ़**	21(अ) आरक्षी केंद्र नारायणगढ़	**1.** स्तंभ कमांक 21(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) **2.** स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। **3.** आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन के समस्म परिवाद। **4.** सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		21(ब) आरक्षी केंद्र पिपलियामंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**3.** स्तंभ कमांक 21(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509/**भारतीय नागरिक संहिता की धारा 88, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85 एवं 79** के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केंद्र नारायणगढतलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये

	[redacted]		गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।

–: नोट :–

1. इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश में की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद जिला मंदसौर क्षेत्राधिकारांतर्गत स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र या वृत्त के किसी प्रकरण को उचित एवं आवश्यक प्रतीत होने से सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, कार्य विभाजन/वितरण आदेश में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा और उक्त व्यवस्था से अन्यथा कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जावेगा।
2. पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु उक्त न्यायालयों में लंबित रिमांड पत्रावलियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को प्रेषित की जावेंगीं।
3. धारा 164 द.प्र.सं./183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कथनों एवं संस्वीकृतियों को लेखबद्ध करने के लिये अनुसूची–''ब'' के अनुसार व्यवस्था रहेगी।
4. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में अन्य कोई आदेश प्रसारित न किये जाने तक संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर निराकृत किये जाने योग्य मामले/प्रकरण अनुसूची क्रमांक–''अ'' अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर विधि अनुसार निराकृत किये जावेंगे।
5. **मुख्य न्यायिक मजिस्टेट के अतिरिक्त संक्षिप्त विचारण की शक्तियां प्राप्त समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माह में एक बार आवश्यक रूप से चलित न्यायालय लगाने जाने बावत् पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर अपने–अपने थाना क्षेत्र में समय–समय पर चलित न्यायालय अनिवार्य रूप से लगायेंगे।**
6. यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों के संबंध में प्रभावी रहेगा।
7. तहसील मंदसौर एवं तहसील दलोदा के क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता धारा 125 से 128/भारतीय नागगिक सुरक्षा संहिता 144 से 147 से संबंधित समस्त भरण पोषण के प्रकरणों (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मंदसौर को अधिकारिता होने से, उक्त प्रकरणों का विचारण/सुनवाई किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाएगा।
8. मध्यप्रदेश ग्राम न्यायायल अधिनियम की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माना जावेंगे और ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय मंदसौर/भानुपरा द्वारा ही ग्रहण कर सुनवाई में लिये जावेंगें।
9. किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण मंदसौर न्यायिक जिले के आपराधिक प्रकरणों को किशोर न्याय बोर्ड, मन्दसौर में प्रस्तुत किये जावेगा।
10. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, मंदसौर के अवकाश पर रहने एवं स्थानांतरण की

दशा में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम अनुसार कार्य संपादित किया जावेगा। बोर्ड के दोनों सदस्यगण की अनुपस्थिति की दशा में सर्वप्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट .द्वारा ही अत्यावश्यक15 प्रकृति का कार्य संपादित किया जावेगा।

11. जिला न्यायिक स्थापना, मंदसौर एवं तहसील न्यायिक स्थापना गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ एवं नारायणगढ़ पर रिक्त न्यायालय होने की स्थिति में संबंधित समस्त कार्यवाहियां (जारी स्थाई गिरफतारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश एवं निर्णय का निष्पादन या अन्य समस्त अनुषाांगिक कार्यवाहियों) और मंदसौर जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट संबंधी कार्यवाहियां समस्त मजिस्ट्रेट इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार अपनी क्षेत्राधिकारिता आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

12. सार्वजनिक अवकाश दिवसों में नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तत/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन सहित आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

13. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.2022 अनुसार केंद्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के अनुसार– धारा 52 ए एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर आरक्षी केंद्रों/नारकोटिक्स ब्यूरो से उद्भूत धारा 52 ए एन.डी.पी.एस.एक्ट के आवेदन का निराकरण संबंधित न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, प्रभावी कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार अपनी क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केंद्रों से उदभूत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

14. जिला अभियोजन अधिकारी जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 321 द.प्र.सं./360 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो फरार अभियुक्त से संबंधित होकर अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गये हैं। ऐसे प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियों का निष्पादन न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, श्री काशीष माटा द्वारा किया जावेगा।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मंदसौर (म.प्र.)

22/7/24
प्रधान जिला एवं सत्र
न्यायाधीश महोदय द्वारा
अनुमोदित
(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मन्दसौर (म.प्र.)

कार्यालय :– प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

न्यायिक कार्य विभाजन संशोधित अनुसूची "अ" दिनांक 23/07/2024 से प्रभावशील

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अवकाश पर होंगे	जिनके पास चार्ज रहेगा	दोनों के अवकाश पर होने पर	तीनों के अवकाश पर होने पर	चारों के अवकाश पर होने पर	पॉचों के अवकाश पर होने पर	उक्त छः के अवकाश पर होने पर	सातों के अवकाश पर होने पर	आठों के अवकाश पर होने पर	उपरोक्त सभी के अवकाश पर होने पर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री प्रवीण कुमार सोंधिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांकला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
2	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
3	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
4	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
5	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

6	**श्री विनोद अहिरवार** न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	[illegible] पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
7	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
8	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
9	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
10	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
11	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
12	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

11	श्री विनीत साकेत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	सुश्री शुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
12	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	सुश्री शुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
12	सुश्री शुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
13	श्री राहुल दुबे न्या.मजि.प्र.श्रे. एवं न्यायाधिकारी, गरोठ	श्रीमती प्रीति पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	श्री ऋषीराज मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	श्रीमती मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	सुश्री शुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
14	श्रीमती प्रीति पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गरोठ	श्री ऋषीराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	श्रीमती मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्रीमती रोहणी तिवारी, , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
15	श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	श्रीमती मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	श्रीमती प्रीति पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	सुश्री शुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
16	श्रीमती मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	श्रीमती प्रीति पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	सुश्री शुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

17	श्री डालचंद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	[redacted]नोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
18	श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ	श्री डालचंद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
19	श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	श्री डालचंद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्रीमती प्राची पाण्डे माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)
मन्दसौर, दिनांक 2024

पृ. क्रमांकः— /2024

01 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03 समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05 थाना प्रभारी, थाना समस्त की ओर पालनार्थ प्रेषित।

06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

न्यायालय : प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

: धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां ::

: अनुसूची "ब":

प्रभावशील दिनांक 23/07/2024

कमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण	महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण
1	2	3	4
1	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	—	आरक्षी केंद्र नई आबादी
2	श्रीमती रोहणी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	आरक्षी केंद्र अफजलपुर आरक्षी–केंद्र–नारायणगढ़ आरक्षी केंद्र महिला थाना	—
3	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., मंदसौर	—	आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ (तहसील मंदसौर क्षेत्राधिकारांतर्गत) एवं दलोदा
4	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	—	आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली एवं वाई.डी.नगर
5	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	वाई.डी.नगर एवं दलौदा	—
6	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	आरक्षी केंद्र भावगढ़, नई आबादी एवं नाहरगढ़ (तहसील मंदसौर क्षेत्राधिकारांतर्गत)	—
7	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	आरक्षी केंद्र महिला थाना मंदसौर, **आरक्षी–केंद्र– मल्हारगढ़,** एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	—
8	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली आरक्षी केंद्र पिपलिया मंडी	—
9	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	—	आरक्षी केंद्र अफजलपुर एवं भावगढ़
10	श्री विनीत साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **सीतामउ**	—	आरक्षी केंद्र सुवासरा एवं नाहरगढ (सीतामउ तहसील के क्षेत्राधिकारांतर्गत)
11	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., सीतामऊ	आरक्षी केंद्र सुवासरा, नाहरगढ (सीतामउ तहसील के क्षेत्राधिकारांतर्गत)	

कमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण	महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण
1	2	3	4
12	सुश्री सुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	आरक्षी केंद्र सीतामउ एवं	आरक्षी केंद्र सीतामउ
13	श्री राहुल दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., **गरोठ**	—	आरक्षी केंद्र शामगढ़
14	श्रीमती प्रीति पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	आरक्षी केंद्र भानपुरा एवं गांधीसागर	आरक्षी केंद्र गरोठ
16	श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	—	—
17	श्रीमती मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	आरक्षी केंद्र गरोठ, शामगढ़ एवं जी.आर.पी. शामगढ़	जी.आर.पी. शामगढ़
18	श्री डालचंद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	—	आरक्षी केंद्र नारायणगढ़
19	श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़		आरक्षी केंद्र– नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)
20	श्रीमती साक्षी प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	—	आरक्षी केंद्र पिपलियामंडी मल्हारगढ़

नोट :–

01- श्रीमती मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा के दीर्घकालीन अवकाश पर होने से उनके अवकाश से लोटने तक **आरक्षी केंद्र गरोठ, शामगढ एवं जी.आर.पी. शामगढ** के धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता/ 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत (मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों) के कथन श्रीमती प्रीति पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ द्वारा लिये जावेंगे।

02- उर्पयुक्तानुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता / 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कथन लिये जाने हेतु अनुसूची 'अ' अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वाराकार्यवाही की जावेगी।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)